//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 65/2011

उनवान

1. शरीफ बेग पुत्र सकरू बेग
2. सम्पत बेग,
3. जामिल,
4. आमीन,
5. इरफान बेग,
6. इकराम उर्फ कामा बेग पि0 हासम बेग,
7. गुलाबी,
8. शमीम,
9. सुल्ताना,
10. सरदार पुत्रियाँ हासम बेग,
11. शरीफन बेगम,
12. मुरादी बेगम पुत्रीयाँ आलम बेग,
13. शफीक बेग,
14. मुराद बेग पि0 आलम बेग,
15. सोनी बेगम पत्नी जलाल बेग,
16. जमाल बेग
17. कमाल बेग,
18. इसराफ बेग,
19. मोमिन बेग,
20. सम्मन बेग पि0 जलाल बेग,
21. शाहनूर बेग पुत्री जलाल बेग समस्त जाति– मुसलमान नि0 जिलावडा नसीराबाद

– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. अकबर बेग पुत्र अहमद बेग
3. अजीज बेग पुत्र अहमद बेग मुतक जरियें वारिसान

3/1. छोटी पत्नी अजीज बेग
3/2. आरिफ बेग पुत्र अजीज बेग
3/3. न्यूम बेग पुत्र अजीज बेग
3/4. सद्दाम बेग पुत्र अजीज बेग
3/5. आसिफा बेग पुत्री अजीज बेग पत्नी साबीर
3/6. काली पुत्री अजीज बेग पत्नी [illegible]

4. जुम्माबेग पुत्र अनवर बेग समस्त [illegible] जिलावडा, नसीराबाद,

—— प्रतिवा[illegible] 2 [illegible] अधिवक्ता श्री सीताराम

1 जरियें [illegible]0 पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:08:12 IST
Reason: SelfAttested

---2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–   दिनांक :– 18-01-23

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जिलावडा के वंर्किग खसरा नम्बर 913 मिन रकबा 0–8–0 व खसरा नम्बर 917 रकबा 0–7–0 के खातेदार आलमबेग, हासम बेग, जलाल बेग व शरीफ बेग थे। उक्त आराजी भू प्रबन्ध विभागब द्वारा बिना वादीगण को सूचना दिये सिवायचक दर्ज कर दी। वंर्किग खसरा नम्बर 913 की भूमि हाल नक्शे में खसरा नम्बर 767 में सम्मिलित कर दी गयी। व सिवायचक दर्ज कर दी गयी इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 726/1796 को भी सिवायचक दर्ज कर दिया। हाल खसरा नम्बर 767 का रकबा 0.11 दर्ज है जबकि मौके के अनुसार खसरा नम्बर 767 का रकबा 1–3–0 है। वंर्किग खसरा नम्बर 910 रकबा 0–10–0, 909 रकबा 0–4–0 व 913 रकबा 0–8–0 को मिलाकर खसरा नम्बर 767 बना है जिसका रकबा 1–3–0 है। बंदोबस्त विभाग ने आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है अतः हाल खसरा नम्बर 767 का रकबा 0.11 के अनुसार मौके के अनुसार 0.18 दर्ज किया जावे। हाल खसरा नम्बर 768 व 722 के मध्य 767 रकबा 0–8–0 की तरमीम की जावे। हाल खसरा नम्बर 767 रकबा 0–8–0 व 926/1796 रकबा 0–7–0 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिसटर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता के मकान बने हुये है। प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय से उक्त आराजी पर काबिज है। खसरा नम्बर 913 व 917 का हाल खसरा नम्बर 767 से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण को बेदखल करने के लिये यह वाद पेश किया है। खसरा नम्बर 767 आरम्भ से ही सिवायचक दर्ज है। आराजी मुतनाजा आबादी भूमि के समीप है जिस पर प्रतिवादीगण के मकान व बाडे बने हुये है। प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर प्रतिवादीगण काबिज है। खसरा नम्बर 767 रकबा 0.11 के पुराने खसरा नम्बर 910 व 909 बने है तथा पुराने खसरा नम्बर 913 व 917 से उपरोक्त भूमि को कोई सरोकार नही है। आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में पूर्व में सिविल न्यायालय में वाद पेश किया था। बिना वाद कारण के सिवायचक भूमि पर वाद पेश किया है। अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान अभिलेख त्रुटिपूर्ण होने से वादी आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्राप्ति व नक्शा दुरूस्ती का अधिकारी है ?
   –– वादी
2. आया आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा काश्त नही होने व प्रतिवादीगण के मकान बने होने से वाद खारिज योग्य है ?
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन राजस्व ... पेश किये तथा शरीफ बेग, हैदर बेग, आरिफ बेग के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने जुम्म बेग, रफीक व बशीर ... के बयान दर्ज करवाये। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:08:12 IST
Reason: SelfAttested

3

—3

तनकी संख्या 1 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार हाल खसरा नम्बर 767 रकबा 0.11 वंर्किग खसरा नम्बर 910 मिन रकबा 0.08 व 909 रकबा 0.03 से बना है। वंर्किग खसरा नम्बर 913 के हाल खसरा नम्बर 722 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 910 रकबा 0–10–0 गे0मु0पाल व 909 रकबा 0–4–0 वंर्किग जमाबंदी में भी सिवायचक दर्ज थे। तथा हाल खसरा नम्बर 767 भी सिवायचक दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वंर्किग खसरा नम्बर 910 व 909 कभी भी वादीगण या उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज नही रहा। हाल खसरा नम्बर 726/1796 वंर्किग खसरा नम्बर 917 से बना है किन्तु वंर्किग खसरा नम्बर 917 के कई हाल खसरा नम्बर बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 913 व 917 बडे रकबे का है जिसके समस्त रकबे के साबिक व हाल राजस्व अभिलेख की स्थिति वादीगण ने स्पष्ट नही की है। मौका रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 767 आबादी भूमि के समीप मुख्य मार्ग के नजदीक स्थित है। जिसमें मकान व बाडे बने हुये है। आराजी मुतनाजा के साबिक खसरा नम्बर का राजस्व मानचित्र व हाल राजस्व मानचित्र मौके की स्थिति के अनुरूप बनाया गया है मौके पर घनी आबादी होने के कारण व भूमि मुख्य मार्ग के समीप होने के कारण मकान व बाडे बने हुये है। मौके पर भूमि कृषि के कार्य में नही ली जा रही है। खसरा नम्बर 767 का रकबा कौन से खसरा नम्बर के रकबे में अधिक कर दिया तथा कौन से खसरा नम्बर का रकबा कम करने से खसरा नम्बर 767 का रकबा पूर्ण होता है यह भी वादीगण ने अपने वाद में स्पष्ट नही किया है। वादीगण को अपना वाद सिद्व करने के लिये सम्पूर्ण भूमि के साबिक व हाल राजस्व अभिलेख का तुलनात्मक विवरण मय राजस्व अभिलेख पेश किया जाना था किन्तु उनके द्वारा वाद में पूर्ण स्थिति स्पष्ट नही की है ना ही सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख पेश किये है जिस कारण वादीगण के कथनों की पुष्टि नही होती है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

प्रतिवादीगण का कथन है कि मौके पर घनी आबादी होने के कारण व भूमि मुख्य मार्ग के समीप होने के कारण मकान व बाडे बने हुये है। इसके समर्थन में उनके द्वारा मौका स्थिति की फोटो भी पेश किये है। वादी गवाह हैदर बेग ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि जमीन आबादी व रोड के समीप है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.22 को मौका निरीक्षण करने पर भी खसरा नम्बर 767 रकबा 0.11 पर मौके पर पाल नही होना व पुराने मकान व बाडे बना होना पाया गया। प्रतिवादीगण के जवाब अनुसार भूमि प्रतिवादी के रहने व निवास के कार्य में ली जा रही है। मौके पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त सिद्व नही होता है बिना कब्जे काश्त के खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। आराजी मुतनाजा वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की सिद्व नही हेंती है। प्रतिवादीगण के कथन सिद्व होते है। तनकी संख्या 2 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम जिलावडा के हाल खसरा नम्बर 767 रकबा 0.11 व 726/1796 रकबा 0.06 की आराजी पर वादीगण का वाद "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:08:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शरीफ बग बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 91, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 65/2011
पेश करने की दिनांक – 08.04.2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम जिलावडा के हाल खसरा नम्बर 767 रकबा 0.11 व 726/1796 रकबा 0.06 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 01 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:08:12 IST
Reason: SelfAttested